रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092025-265912
CG-DL-E-03092025-265912

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3914] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2025/भाद्र 11, 1947
No. 3914] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2025/BHADRA 11, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2025

का.आ. 4019(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या९६५ डी डी के कि.मी. २२.७०० से कि.मी. ४९.००० (पाचरळ से म्हाप्रळ)तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौडीकरण /पेव्ड शोल्डर सहित २- लेन / ४-लेन का बनाना आदि) ,अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा ३ ग की उप-धारा (१) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा ।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, उपविभागीय अधिकारी दापोली को लिखित रूप मे किया जायगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपो की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्,

यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा ३ ग की उप-धारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

**महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ९६५ डी डी के कि.मी. २२.७०० से कि.मी. ४९.०००
(पाचरळ से म्हाप्रळ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.**

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: रत्नागिरी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मंडनगड					
गांव का नाम: म्हाप्रळ					
1	63/5	निजी	कृषिक	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
2	103/69	निजी	कृषिक	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
3	103/71	निजी	कृषिक	0.035 (हेक्टेयर)	0.035
4	103/75	निजी	कृषिक	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
5	103/76	निजी	कृषिक	0.086 (हेक्टेयर)	0.086
6	19/15	निजी	कृषिक	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
7	19/4	निजी	कृषिक	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
8	20/1	निजी	कृषिक	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
9	20/3	निजी	कृषिक	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
10	22/21	निजी	कृषिक	0.0425 (हेक्टेयर)	0.0425
11	22/22	निजी	कृषिक	0.13 (हेक्टेयर)	0.13
12	22/3	निजी	कृषिक	0.1575 (हेक्टेयर)	0.1575
13	23/1	निजी	कृषिक	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
14	23/2	निजी	कृषिक	0.0075 (हेक्टेयर)	0.0075
15	24/1/A	निजी	कृषिक	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
16	24/1/B	निजी	कृषिक	0.0025 (हेक्टेयर)	0.0025
17	27/1	निजी	कृषिक	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
18	27/2	निजी	कृषिक	0.04 (हेक्टेयर)	0.04

19	27/3	निजी	कृषिक	0.0075 (हेक्टेयर)	0.0075
20	56/1	निजी	कृषिक	0.1375 (हेक्टेयर)	0.1375
21	56/2	निजी	कृषिक	0.0275 (हेक्टेयर)	0.0275
22	56/3	निजी	कृषिक	0.045 (हेक्टेयर)	0.045
23	56/4	निजी	कृषिक	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
24	56/5	निजी	कृषिक	0.0275 (हेक्टेयर)	0.0275
25	56/6	निजी	कृषिक	0.0225 (हेक्टेयर)	0.0225
26	56/7	निजी	कृषिक	0.0625 (हेक्टेयर)	0.0625
27	56/8	निजी	कृषिक	0.019 (हेक्टेयर)	0.019
28	63/1	निजी	कृषिक	0.035 (हेक्टेयर)	0.035
29	63/2	निजी	कृषिक	0.0175 (हेक्टेयर)	0.0175
30	63/3+4	निजी	कृषिक	0.0275 (हेक्टेयर)	0.0275
31	63/7	निजी	कृषिक	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
32	64/1	निजी	कृषिक	0.0425 (हेक्टेयर)	0.0425
33	64/2	निजी	कृषिक	0.1275 (हेक्टेयर)	0.1275
34	64/3	निजी	कृषिक	0.0225 (हेक्टेयर)	0.0225
35	64/4	निजी	कृषिक	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
36	64/5	निजी	कृषिक	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
37	65/1	निजी	कृषिक	0.0375 (हेक्टेयर)	0.0375
38	70/10	निजी	कृषिक	0.375 (हेक्टेयर)	0.375
39	70/11	निजी	कृषिक	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
40	70/4	निजी	कृषिक	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
41	70/5	निजी	कृषिक	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
42	70/6	निजी	कृषिक	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
43	70/7	निजी	कृषिक	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
44	70/8	निजी	कृषिक	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
45	70/9	निजी	कृषिक	0.0975 (हेक्टेयर)	0.0975
46	74/2	निजी	कृषिक	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
				Total	**2.2895**

[फा. सं. RW/NH-12014/154/2017-MAH-Zone IV/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2025

S.O. 4019(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act,1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Construction of **building (widening /two lane with paved shoulder /four laning etc.) maintenance, management and operation of NH965DD in the stretch of land from Km 22.700 to Km 49.000 (Pacharal to Mhapral)in the district of Ratnagiri in the state of Maharashtra,** hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objections to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the **Sub Divisional Officer Dapoli** in the State of Maharashtra, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order,either Allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be covered under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure falling NH965DD within the stretch of the land from Km. 22.700 to Km.49.000 (Pacharal to Mhapral) in the district of Ratnagiri in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			**District: RATNAGIRI**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Mandangad					
Village: Mhapral					
1	63/5	Private	AGRICULTURE	0.005 (Hectare)	0.005
2	103/69	Private	AGRICULTURE	0.002 (Hectare)	0.002
3	103/71	Private	AGRICULTURE	0.035 (Hectare)	0.035
4	103/75	Private	AGRICULTURE	0.015 (Hectare)	0.015
5	103/76	Private	AGRICULTURE	0.086 (Hectare)	0.086
6	19/15	Private	Agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
7	19/4	Private	Agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
8	20/1	Private	AGRICULTURE	0.08 (Hectare)	0.08
9	20/3	Private	AGRICULTURE	0.02 (Hectare)	0.02
10	22/21	Private	AGRICULTURE	0.0425 (Hectare)	0.0425

11	22/22	Private	AGRICULTURE	0.13 (Hectare)	0.13
12	22/3	Private	AGRICULTURE	0.1575 (Hectare)	0.1575
13	23/1	Private	AGRICULTURE	0.02 (Hectare)	0.02
14	23/2	Private	AGRICULTURE	0.0075 (Hectare)	0.0075
15	24/1/A	Private	AGRICULTURE	0.04 (Hectare)	0.04
16	24/1/B	Private	AGRICULTURE	0.0025 (Hectare)	0.0025
17	27/1	Private	AGRICULTURE	0.025 (Hectare)	0.025
18	27/2	Private	AGRICULTURE	0.04 (Hectare)	0.04
19	27/3	Private	AGRICULTURE	0.0075 (Hectare)	0.0075
20	56/1	Private	AGRICULTURE	0.1375 (Hectare)	0.1375
21	56/2	Private	AGRICULTURE	0.0275 (Hectare)	0.0275
22	56/3	Private	AGRICULTURE	0.045 (Hectare)	0.045
23	56/4	Private	AGRICULTURE	0.04 (Hectare)	0.04
24	56/5	Private	AGRICULTURE	0.0275 (Hectare)	0.0275
25	56/6	Private	AGRICULTURE	0.0225 (Hectare)	0.0225
26	56/7	Private	AGRICULTURE	0.0625 (Hectare)	0.0625
27	56/8	Private	AGRICULTURE	0.019 (Hectare)	0.019
28	63/1	Private	AGRICULTURE	0.035 (Hectare)	0.035
29	63/2	Private	AGRICULTURE	0.0175 (Hectare)	0.0175
30	63/3+4	Private	AGRICULTURE	0.0275 (Hectare)	0.0275
31	63/7	Private	AGRICULTURE	0.025 (Hectare)	0.025
32	64/1	Private	AGRICULTURE	0.0425 (Hectare)	0.0425
33	64/2	Private	AGRICULTURE	0.1275 (Hectare)	0.1275
34	64/3	Private	AGRICULTURE	0.0225 (Hectare)	0.0225
35	64/4	Private	AGRICULTURE	0.03 (Hectare)	0.03
36	64/5	Private	AGRICULTURE	0.1 (Hectare)	0.1
37	65/1	Private	AGRICULTURE	0.0375 (Hectare)	0.0375
38	70/10	Private	AGRICULTURE	0.375 (Hectare)	0.375
39	70/11	Private	AGRICULTURE	0.07 (Hectare)	0.07
40	70/4	Private	AGRICULTURE	0.005 (Hectare)	0.005
41	70/5	Private	AGRICULTURE	0.005 (Hectare)	0.005
42	70/6	Private	AGRICULTURE	0.025 (Hectare)	0.025
43	70/7	Private	AGRICULTURE	0.01 (Hectare)	0.01

44	70/8	Private	AGRICULTURE	0.11 (Hectare)	0.11
45	70/9	Private	AGRICULTURE	0.0975 (Hectare)	0.0975
46	74/2	Private	AGRICULTURE	0.02 (Hectare)	0.02
				Total	**2.2895**

[F. No. . RW/NH-12014/154/2017-MAH-Zone IV/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.03 14:21:25 +05'30'